

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठारिीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 259 / 2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
बांकाराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट, निवासी पनावड़ा (बायतु) हाल निवासी रामदेवपुरा, आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. उगराराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट, निवासी पनावड़ा (बायतु) हाल निवासी रामदेवपुरा, आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री बालाराम गोदार।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 06.11.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा रामदेवपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 400 रकबा 13.1280 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी के सेदासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 601/400 रकबा 13.1361 हैक्टेयर का आया हुआ है। विवादित आराजी में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के मध्य सीमा चिन्ह कायम है तथा अपने अपने कब्जा काश्त में काविज है। प्रार्थी की अपनी खातेदारी में रहवासी ढाणी, टांके आदि बने हुए हैं। उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर का मूल खसरा नम्बर 400 का विभाजन होने पर अंकन किया गया है। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणी प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से सहमति जवाब पेश कर उक्त विवादित आराजी की तरमीम दुरस्ती बाबत् मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फुर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रभावित की गई, जिस पर उभयपक्ष उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये

उपखण्ड अधिकारी
शिव

का निवेदन किया गया। विप्राथी संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस में तथ्यों की ताईद करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उभयपक्ष उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्राथी संख्या 2 द्वारा सहमति जवाब भी पेश किया गया है। साथ ही उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रामदेवपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 400 रकबा 13.1280 हैक्टेयर एवं विप्राथी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 601/400 रकबा 13.1361 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिवक्ता
शिव (बाडमेर)

आदेश आज दिनांक 06.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिवक्ता
शिव (बाडमेर)